

BA-2, paper-3, Indian Government and Politics

Date - 20.01.2022

मौलिक अधिकार (भाग - 3, अनु० 12-35)

समानता का अधिकार (Art 14-18).

- Art 14 - विधि (कानून) के समक्ष समानता - सभी एक समान किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं।
- Art 15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- Art 16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
- Art 17 असुख्यता का अंत
- Art 18 उपाधियों का अंत - राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा।

स्वतंत्रता का अधिकार (Art 19-22)

- Art 19. बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता - जिससे
- ~~Art 20~~ 20. अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राज्य में अबाध संचरण की स्वः, भारत के किसी भी भाग में निकास की स्वः, कोई भी वृत्ति।
- उपजीविका व्यवसाय वा व्यापार करने का अधिकार.।
- Art 20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
- Art 21. प्राण एवं वैदिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार माना
- Art 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। निवारक निरोध - अपराध करने के पूर्व ही संदेह के आधार पर व्यक्ति को रोकना। गिरफ्तार करना उसका उद्देश्य कानून को क्षति से बचाना, अपराध को रोकना है। (MISA, NSA, TADA, UAPA Act आदि).

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अध-23-24) -

अध-23 - मानव के कलात श्रम व दुर्व्यापार पर प्रतिबंध

अध-24 - कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध

4. अनु-25-28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

अध-25 - सभी व्यवस्थाओं को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने का,

अवसर करने और प्रचार करने का हक होगा।

अध-26 - धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्व.

अध-27 - किसी विशेष धर्म को संपादित करने वाले लोगों के संकाय के बारे में स्व.

अध-28 - कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक इपासना में उपस्थित होने के बारे में स्व.।

5. सांस्कृतिक और बौद्धिक अधिकार (अनु-29-30)

अध-29. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण -

भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।

अध-30. शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उद्घाटन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।

धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उद्घाटन का अधिकार होगा।

संस्कृति - यह जीवन पद्धति है जिसमें लोक, नृत्य, गायन, चित्रकला तथा आदि सम्मिलित हैं।

शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी धर्म या भाषा आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध के आधार पर मदद नहीं करेगा।

'अल्पसंख्यक' शब्द का संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।

